(b) As per available information year-wise details regarding frozen and forfeited properties are as follows:

Year	Value of Property Frozen (Rs.)	Value of Property Forfeited (Rs.)
1993	904044.00	NIL
1994	85067571.00	1024400.00
1995	210428345.00	309479.00

State-wise data is not maintained. Tracing of property is an investigative process which may lead to freezing and ultimate forfeiture of property.

(c) Instructions have been issued to all enforcement agencies that special attention should be paid to enforcement of provisions regarding forfeiture of property under the NDPS Act.

राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना, 1980 के अंतर्गत लिया गया सोना

1587. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना, 1980 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के जिन देवताओं/धर्मस्थलों का सोना लिया गया था, उनमें से किस-किस देवता/धर्मस्थल का सोना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज तक लौटाया गया है और किन-किन देवताओं/धर्मस्थलों का मामला अभी तक अधर में लटका है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त मंदिरों के प्रबंधकों के लिए दिल्ली आकर भारतीय रिजर्व बैंक से सोना लेकर वापस जाना संभव नहीं है;

(ग) क्या सरकार उक्त सोने को मंदिर के प्रबंधन को सौंपने हेतु उसे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से कुल्लू जिला मुख्यालय भिजवाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) कुल्लू जिले के 56 मन्दिरों जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना, 1980 में निवेश किया था जिनमें से 9 मन्दिरों को बांड प्रस्तुत करने पर सोना लौटा दिया गया है और जिन 47 मन्दिरों का सोना अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, उनकी सूची दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से कुल्लू के जिला मुख्यालय को सोना लौटाने के सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सहमति नहीं दी है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि जिन बांड धारकों ने 30 ग्राम तक सोना जमा किया है, उन्हें स्वयं दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के कार्यालय में विधिवत, निर्धारित बाण्ड इस अनुरोध के साथ भेज सकते हैं कि उन्हें सोना बीमांकित डाक से भेज दिया जाए। जिन बांड धारकों ने 30 ग्राम से अधिक सोना जमा कराया है वे या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में बांड प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पर बकाया सोना प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय-रक्षा स्वर्ण बाण्ड योजना, 1980 के अन्तर्गत निवेश किए गए स्वर्ण के संबंध में विवरण

क्रम सं०	निवेशक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा सोना (ग्राम में)	वापस किया गया सोना (ग्राम में)
1.	देवता चाऊनाग	2	—
2.	देवता बुझारी कोट	10	—
3.	देवता तरली नाग	2	—
4.	देवता जालन्धरी	18	—

क्रम सं०	निवेशक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा सोना (ग्राम में)	वापस किया गया सोना (ग्राम में)
5.	देवता बिनंगली नाग	17	—
6.	देवता बोला मार्क	5	—
7.	देवता बोला नाग	12	—
8.	देवता बहुमा फटिकानन	8	—
9.	देवता लक्ष्मी नारायण	11	—
10.	देवता सेराजी नाग	1	—
11.	देवता खादनी नाग	1	—
12.	देवता जेगधर महादेव	9	—
13.	करदारकुसुम्बा देवी	3	—
14.	करदार देवी जगन नाथी भाखली	15	—
15.	करदार देवी नैना	26	—
16.	करदार देवता बिजू महोदव	41	—
17.	देवता ईशर महादेव	32	—
18.	देवता बेहनी महादेव	13	—
19.	देवता चालनाग	16	—
20.	देवता बुझारी कोट	3	—
21.	देवता बोला मार्क	4	—
22.	देवता बोला नाग	1	—
23.	देवता कुसम्बा देव	8	—
24.	देवता रियालु नाग	8	—
25.	देवता कुइनी महादेव	32	—
26.	देवता तुकरासी नाग	8	—
27.	करदार ठाकुर मुरलीधर	2	—
28.	देवता शमशारी महोदव	83	—
29.	करदार देवता लक्ष्मी नारायण	8	—
30.	करदार ठाकुर मुरलीधर	8	

Hearing of cases by Chairman Settlement Commission in various Benches

1588. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the capacity in which Chairman, Settlement Commission (Income Tax & Wealth Tax), New Delhi made visits to other benches during the last three years for hearing of cases by those benches particularly when Vice Chairmen of those benches were available there;

(b) whether such hearing of cases by Chairman of Commission affects the composition of the benches where the cases